

चौधरी चरणसिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक : सम्बद्धता/५७७

दिनांक : १०.०५.२०१८

सम्बद्धता आदेश

असाधारण गजट नोटिफिकेशन संख्या-९७५/७९- वि-१-१४-१(क)१९/२०१४ दिनांक १८.०७.२०१४ द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम १९७३ की धारा-३७ की उपधारा-२ द्वारा प्रदत्त अधिकार के तहत माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार कार्यपरिषद की स्वीकृति के आलोक में कृष्णा कालेज ऑफ एजुकेशन, कमालपुर, छुटमलपुर, जिला-सहारनपुर को शिक्षा संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर बी०ए० पाठ्यक्रम (५० सीट) में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक ०१.०७.२०१८ से सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान की गयी है।

०१. संस्था द्वारा उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, २००३ द्वारा मूल अधिनियम, १९७३ की धारा-३७(२) में प्राक्कानित परन्तुक के अनुसार बी०ए० पाठ्यक्रम में प्रवेश से पूर्व उपरोक्त संदर्भित कमियों का निराकरण कर लिया जायेगा एवं सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा सम्बद्धता आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा।
०२. संस्थान/महाविद्यालय सशर्त सम्बद्धता/सम्बद्धता आदेश में इंगित कमियों की पूर्ति कर लेगा एवं विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
०३. संस्था शासनादेश संख्या-२८५१/सत्तर-२-२००३-१६(९२)/२००२ दिनांक २ जुलाई २००३ में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी। रिट याचिका संख्या-६१८५९/२०१२ में पारित आदेश दिनांक २०.१२.२०१२ के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-६२२/सत्तर-२-२०१३-२(६५०)/२०१२ दिनांक ३० अप्रैल, २०१३ का अनुपालन संस्थान/महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित कराया जाये।
०४. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम १९७३ के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

अतः कार्य परिषद की स्वीकृति दिनांक ०९.०५.२०१८ के आलोक में कुलपति जी के आदेशानुसार कृष्णा कालेज ऑफ एजुकेशन, कमालपुर, छुटमलपुर, जिला-सहारनपुर को शिक्षा संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर बी०ए० पाठ्यक्रम (५० सीट) में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत उपरोक्त शर्तों के अधीन दिनांक ०१.०७.२०१८ से सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इसी क्रम में यह भी सूच्य है कि उक्त पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार किये जायेंगे।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

१. सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-२, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
२. सचिव, कृष्णा कालेज ऑफ एजुकेशन, कमालपुर, छुटमलपुर, जिला-सहारनपुर।
३. सहायक कुलसचिव (लेखा) को सूचनार्थ।
४. प्रभारी, कमेंटी सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
५. प्रभारी, स्टोर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
६. प्रभारी, गोपनीय (प्रोफेशनल/परीक्षा) सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
७. प्रभारी, इंटरनेट को इस आशय के साथ प्रेषित कि यह संदर्भित संस्थान/पाठ्यक्रम का नाम वेबसाईट पर डालने का कष्ट करे।
८. गार्ड फाइल हेतु।

कुलसचिव